आदेश

तहसीलदार चिड़ावा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 130, 131, 135 42A CT का स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कोहराना कुई पटवार हल्का के भूमि ख.न. 66/2 रकबा 0.07 है., ख.न. 49/2 रकबा 0.02 है, ख.न. 48/1 रकबा 0.04 है, ख.न. 44/2 रकबा 0.02 है, ख.न. 68/2 रकबा 0.07 है, 72/1 रकबा 0.0256 है., ख.न. 73/1 रकबा 0.0160 है. भूमि को राजकीय रास्ता घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि अन्य किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो राजस्व रिकार्ड में अमल उबाराड करने प्रगावनी मौकल मुताबिक हाकर नजर के कम से 4 दाड तकमील दाखिल करते

(1)

उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा
जिला झुन्झुनूं (राज.)